



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 19, 1999/कार्तिक 28, 1921

No. 575]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 19, 1999/KARTIKA 28, 1921

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1999

सा.का.नि. 780(अ).—भारत सरकार के विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (कंपनी कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 737(अ), तारीख 1-11-99 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, “परन्तु जहां निक्षेप ऊपर दी गई सीमाओं (यथास्थिति, बीस करोड़ रुपए या 30-09-1999 को निक्षेप) से अधिक है, वहां ऐसी कंपनी—” के स्थान पर “परन्तु जहां निक्षेप ऊपर दी गई सीमाओं (यथास्थिति, बीस करोड़ रुपए या इस अधिसूचना की तारीख को निक्षेप) से अधिक है, वहां ऐसी कंपनी—” पढ़ें।

[फा. सं. 5/37/99-सी एल-V]

आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND
COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th November, 1999

G.S.R. 780(E)—In the Notification of the Government of India, in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, (Department of Company Affairs) No. G.S.R. 737(E), dated 1-11-99 and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), for “Provided that where the deposits exceed the above limits (rupees twenty crores or the deposits as on 30-09-1999 as the case may be) such company shall;” read “Provided that where the deposits exceed the above limits (rupees twenty crores or the deposits as on the date of this notification as the case may be) such company shall;”.

[F. No. 5/37/99-CL-V]

R.D. JOSHI, Jt. Secy.